



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक. F89(27)/CAD/Direct selling Rules/2021-00033

दिनांक.

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के अन्तर्गत गठित निगरानी तंत्र के दिशा-निर्देश

निगरानी तंत्र, प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए है, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार है, जिसे भारत सरकार द्वारा सा.का.नि.-889 (अ), दिनांक: 28.12.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (यछ) और धारा 94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। **उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021** के नियम 11 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्यक्ष विक्रेताओं और प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी या पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी। उक्त नियम के तहत प्रत्यक्ष बिक्री की समस्त गतिविधियों को विनियमित करने के लिए निम्नानुसार निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया जाता है।

1. निगरानी प्राधिकरण की संरचना

निगरानी प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1	प्रमुख शासन सचिव, उपभोक्ता मामले	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त/प्रमुख शासन सचिव, (वित्त) के नामिति, जो विशिष्ट सचिव/संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो	सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, विधि अथवा नामिति विशिष्ट सचिव/संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो	सदस्य
4	सचिव, कर विभाग अथवा नामिति; जो, उप-सचिव के पद से नीचे न हो	सदस्य
5	नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, राजस्थान	सदस्य
6	खाद्य सुरक्षा आयुक्त अथवा नामिति जो अतिरिक्त आयुक्त के पद से नीचे न हो	सदस्य
7	आयुक्त, सी.जी.एस.टी, विभाग अथवा नामिति जो संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे न हो	सदस्य
8	पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग	सदस्य
9	आर्थिक अपराधों से निपटने वाले पुलिस विभाग से ए.डी.जी.पी./आई.जी. रैंक के अधिकारी	सदस्य
10	लीगल केयर कंसल्टेंट्स (विषय विशेषज्ञ-राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (अधिकतम दो वर्ष)
11	निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग	राज्य स्तरीय नोडल ऑफिसर/ सदस्य सचिव

2. नोडल विभाग

- उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित समस्त गतिविधियों के विनियमन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु नोडल विभाग होगा।
- निदेशक, उपभोक्ता मामले प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित समस्त गतिविधियों हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे।
- निदेशक, उपभोक्ता मामले, उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन, प्रवर्तन, निगरानी, नामांकन करने तथा निरस्तीकरण हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में सक्षम प्राधिकारी होंगे।

3. निगरानी प्राधिकरण के उद्देश्य

- उपभोक्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी को रोकने, उपभोक्ताओं के वैध अधिकारों की रक्षा करने, उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में अनुचित व्यापार प्रथाओं के सभी रूपों को प्रतिबंधित करने, पिरामिड स्कीम और धन परिसंचरण योजनाओं के सभी रूपों को प्रतिबंधित करने या उपभोक्ताओं के हित में प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में ऐसी योजना में किसी भी व्यक्ति को नामांकित/भागीदारी करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री के व्यवसाय को विनियमित करना;



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

- b) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और इसके तहत बनाए गए नियमों, अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के अनुपालन के संबंध में प्रत्यक्ष विक्रेताओं, प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी/पर्यवेक्षण करना।
4. **निगरानी प्राधिकरण के कर्तव्य:**
- a) राजस्थान राज्य में प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार चलाने के लिए प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं के पंजीयन के लिए सुविधाएँ प्रदान करना;
- b) प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों, विधिक माप विज्ञान अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य लागू अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध आम उपभोक्ताओं/प्रत्यक्ष विक्रेताओं से शिकायतें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करना;
- c) प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं/प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विधिक माप विज्ञान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अन्य लागू अधिनियमों और नियमों; यदि कोई हो, के प्रावधानों के उल्लंघन/उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारियों को सूचित करना, जैसा कि निगरानी प्राधिकरण के संज्ञान में आया हो या देखा गया हो;
- d) सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और उनके प्रत्यक्ष विक्रेता का डाटाबेस संधारण, कार्यालय/कार्यालयों का पता, अधिकृत व्यक्तियों के संपर्क विवरण, उत्पाद विवरण, ऐसे प्रारूप में; जो उपयुक्त माना जा सकता है, जिसमें सभी ब्लैक-लिस्टेड संस्थाओं का डाटाबेस शामिल है। डाटाबेस को संबंधित पंजीकरण अधिकारियों के साथ साझा और सत्यापित किया जाएगा।
5. **निगरानी प्राधिकरण की शक्तियाँ:**
निगरानी प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी:-
- a) किसी भी प्राप्त शिकायत की जाँच और अनुसंधान तथा नियमों की अनुपालना हेतु स्वप्रेरित जाँच करना।
- b) प्रत्यक्ष विक्रेता इकाई के किसी कार्यालय/शाखा कार्यालय में प्रवेश करने या कराने का अधिकार।
- c) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन या किसी अन्य कानून के उल्लंघन की जानकारी संबंधित प्राधिकरण को देना, जो इसकी ध्यान में आया है, और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करना।
- d) प्रत्यक्ष विक्रेताओं, उपभोक्ताओं या प्रभावित व्यक्तियों से शिकायतें राज्य/राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर या किसी अन्य माध्यम से स्वीकार करना।
6. **बैठकें**
निगरानी प्राधिकरण छः माह में एक बार बैठक करेगी और प्रत्यक्ष बिक्री परिचालन निर्देशों, प्रत्यक्ष बिक्री नियमों की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी। यदि आवश्यक हो, तो मौजूदा नियमों या दिशा-निर्देशों में संशोधन वर्तमान स्थिति के आधार पर किए जा सकते हैं; तब निगरानी प्राधिकरण मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान करेगी।
7. राजस्थान राज्य के निदेशक, उपभोक्ता मामले या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं या प्रत्यक्ष विक्रेताओं की दैनिक आधार पर निगरानी करेंगे।
8. राज्य में उपभोक्ता मामले विभाग की अनुमति के बिना प्रत्यक्ष बिक्री संबंधी व्यवसाय नहीं किया जावेगा।
9. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के सभी धाराएँ और नियम, साथ ही उन पर किए गए अन्य संशोधन, तथा प्रत्यक्ष बिक्री नियम, 2021 और उनके संशोधन, और इसके अंतर्गत जारी किए गए अन्य नियम, संशोधन और परिपत्र सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं, प्रत्यक्ष विक्रेताओं और प्रत्यक्ष बिक्री के व्यवसाय में संलग्न किसी भी व्यक्ति पर लागू होंगे।
10. **परिभाषाएँ**
- (a) **प्रत्यक्ष बिक्री** : इसका अर्थ है स्थायी खुदरा स्थान के अलावा विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं का विपणन, वितरण और बिक्री या सेवाओं का प्रावधान।
- (b) **प्रत्यक्ष बिक्री इकाई** : इसका अर्थ है वह प्रमुख इकाई जो विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से सीधे माल या सेवाएँ बेचती है या बेचने की पेशकश करती है। लेकिन, इसमें वह इकाई शामिल नहीं है जो पिरामिड योजना या धन संचलन योजना में लगी हुई है।
- (c) **धन परिचालन योजना** : इसका तात्पर्य पुरस्कार चिट एवं धन परिचालन योजना (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित योजनाओं से है।



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

- (d) **प्रत्यक्ष विक्रेता** : इसका तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे प्रत्यक्ष विक्रय इकाई द्वारा कानूनी रूप से लागू लिखित अनुबंध के माध्यम से प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के आधार पर प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- (e) **विक्रेताओं का नेटवर्क** : इसका तात्पर्य प्रत्यक्ष विक्रेताओं के एक नेटवर्क से है, जो प्रत्यक्ष विक्रय इकाई द्वारा केवल ऐसी बिक्री से प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं को बेचने के लिए बनाया जाता है।
- (f) **पिरामिड योजना** : इसका अर्थ है किसी योजना के लिए उपभोक्ताओं का बहुस्तरीय नेटवर्क, जिसका गठन उपभोक्ताओं द्वारा, योजना में अतिरिक्त उपभोक्ताओं के नामांकन या कार्य या प्रदर्शन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें नए उपभोक्ताओं को नामांकित करने वाले उपभोक्ता उच्चतर स्थान पर होते हैं तथा नामांकित उपभोक्ता निम्नतर स्थान पर होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यदि लगातार नामांकन वाले उपभोक्ता हों तो बहुस्तरीय नेटवर्क बन जाता है।
- (g) **अपील प्राधिकारी से तात्पर्य** प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान तथा द्वितीय अपील अधिकारी मंत्री, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान से है, जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश के रूप में रहेगी।

11. राजस्थान में व्यवसाय करने के लिए प्रत्यक्ष विक्रेता, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का नामांकन

- (a) कोई भी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति राजस्थान राज्य में प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में तब तक संलग्न नहीं होगा, जब तक कि ऐसी इकाई ने में परिशिष्ट-1 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन दाखिल करके प्राधिकरण/नोडल विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग) के साथ पंजीकरण/नामांकित न किया हो।
- (b) प्रत्यक्ष बिक्री संस्था का राजस्थान में न्यूनतम एक शाखा/पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए।
- (c) आवेदक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था के प्रमोटर/निदेशकों/भागीदारों का प्रोफाइल, आवश्यक अनुमति/लाइसेंस/सामान्य और कर संबंधी जानकारी के साथ, स्व-घोषणा आवेदन प्रारूप में परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके साथ ही, एक नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र/घोषणा को परिशिष्ट-2 व 3 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, साथ ही निर्धारित आवेदन पत्र में उल्लिखित परिशिष्ट-4 के रूप में संलग्नक भी शामिल होने चाहिए।
- (d) यदि उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 का कोई उल्लंघन प्रथम दृष्टया पाया जाता है या आवश्यक दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाते हैं, तो राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग) प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का नामांकन के आवेदन को रद्द कर सकती है।
- (e) प्रत्यक्ष बिक्री इकाई या प्रत्यक्ष विक्रेता को व्यवसाय शुरू करने से पहले संबंधित सरकारी विभागों से उन उत्पादों के लिए लाइसेंस लेना होगा, जिनका वे व्यापार करना चाहते हैं। इसके बाद, आवश्यक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करने के बाद व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक नामांकन के लिए निदेशक, नोडल विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान) से संपर्क करना होगा, ऐसा नामांकन निम्नलिखित के अधीन होगा-
- (i) प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का पूर्व भौतिक सत्यापन।
- (ii) प्रत्यक्ष विक्रेताओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुमति/लाइसेंस देने से पहले निदेशक, नोडल विभाग उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में प्रस्ताव की विस्तृत जांच की जाएगी।
- (iii) प्रत्यक्ष विक्रय इकाई की साख की जांच की जाएगी।
- (f) नोडल विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग) को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के प्रस्ताव को अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार है। बशर्ते कि इसके निपटारे से पहले किसी भी समय, नोडल विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग) नोटिस जारी कर आवेदक संस्था और विक्रेता से सही जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग कर सकती है, यदि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर सही आवेदन/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो नोडल विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग) को नामांकन के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार करने की शक्ति होगी।
- (g) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का नामांकन पूरी तरह से आवेदक द्वारा निर्धारित नामांकन आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों के आधार पर किया जाएगा, जो नामांकित इकाई और विक्रेता को खुद को सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के रूप में प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है। बल्कि नामांकन का उद्देश्य नोडल विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग) को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में प्रभावी तरीके से अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाना है।



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

- (h) **नामांकन शुल्क-** प्रत्यक्ष बिक्री संस्था के नामांकन के लिए आवेदन करने वाली प्रत्यक्ष बिक्री संस्था को ऐसे नामांकन संख्या जारी करने के लिए 5,000 (अक्षरे रूपये पांच हजार) रूपये या समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, ऐसे नामांकन शुल्क को "राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष" के पी.डी. खाते में जमा किया जाएगा और इस निधि का उपयोग उपभोक्ताओं की जागृति एवं प्रचार-प्रसार के लिए किया जावेगा।
- (i) **निम्नलिखित स्थितियों में,** हर पंजीकृत प्रत्यक्ष बिक्री संस्था को नोडल विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग) के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में होने वाले किसी भी परिवर्तन/अपडेट के बारे में 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। प्रथमतः नामांकन के पश्चात किसी भी प्रकार के परिवर्तन/अपडेट के परिप्रेक्ष्य में शुल्क 1000 (अक्षरे रूपये एक हजार) या समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- पंजीकरण विवरण
 - व्यापार योजना (Business Plan/Compensation Plan/Marketing Plan)
 - निदेशक, प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति
 - नोडल/अनुपालन/शिकायत निवारण अधिकारी
 - पंजीकृत/कॉर्पोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय में परिवर्तन
 - शाखा या अन्य कार्यालयों की वृद्धि/हटाना
 - कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन या अन्य अधिसूचित परिवर्तन
- 12. अभिलेखों का अनिवार्य रखरखाव :**
- a) प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को उन उत्पादों के संबंध में संबंधित विभागों से सभी अपेक्षित अनुमतियाँ/लाइसेंस/पंजीकरण लेना होगा, जिन पर वे प्रत्यक्ष बिक्री का व्यवसाय करना चाहते हैं।
- b) प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने पंजीकृत कार्यालय में, मैनुअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे सभी दस्तावेजों को बनाए रखेगी, जो किसी भी कानून के तहत आवश्यक हैं, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम संख्या 4 के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज या रिकॉर्ड शामिल हैं, जो लागू हो सकते हैं, अर्थात:
- निगमन प्रमाणपत्र;
 - एसोसिएशन का ज्ञापन और एसोसिएशन का अनुच्छेद (कंपनी के मामले में); साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म/एलएलपी के मामले में)
 - स्थायी खाता संख्या(PAN) और कर कटौती और संग्रह खाता संख्या(TAN);
 - माल और सेवा कर पंजीकरण और माल और सेवा कर रिटर्न;
 - आयकर रिटर्न;
 - बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट और ऐसी अन्य प्रासंगिक रिपोर्टें;
 - प्रत्यक्ष विक्रेताओं का रजिस्टर;
 - आयातक-निर्यातक कोड का प्रमाण पत्र (आयातित माल के मामले में);
 - खाद्य पदार्थों के विनिर्माण या बिक्री के प्रयोजनों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम, 2006 के तहत जारी लाइसेंस;
 - ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र;
 - आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधियों और होम्योपैथिक दवाओं सहित औषधियों के विनिर्माण या बिक्री के प्रयोजन के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत जारी लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र।
 - उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान द्वारा निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज या रिकॉर्ड।
- 13. प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के दायित्व :** प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रय इकाई को
- यदि कंपनी है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित हो या साझेदारी फर्म है, तो साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत हो या सीमित देयता भागीदारी है, तो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत हो।
 - भारत में कम से कम एक भौतिक स्थान पर शाखा/पंजीकृत कार्यालय और राजस्थान में एक शाखा/पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए;
 - इस आशय की स्व-घोषणा करें कि उसने इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है और वह किसी पिरामिड योजना या धन संचलन योजना में शामिल नहीं है;
 - नियम 4 में निर्दिष्ट दस्तावेज या रिकॉर्ड, खंड (सी) में निर्दिष्ट स्व-घोषणा, संपर्क जानकारी जो वर्तमान और अद्यतन है, इसके नोडल अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी, इसके प्रबंधन, उत्पादों, उत्पाद जानकारी, मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के विवरण सहित उस इकाई के सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ उचित और अद्यतन वेबसाइट बनाए रखें।



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

- e) किसी ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह या किसी अन्य पहचान चिन्ह का स्वामी, धारक या लाइसेंसधारी नहीं होगा, जो उस इकाई को बेची या आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के साथ पहचान प्रदान करता है, लेकिन उन वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर कमीशन, बोनस या प्रोत्साहन नहीं देगा, जिनके ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह या अन्य पहचान चिन्हों का वह स्वामी, धारक या लाइसेंसधारी नहीं है।
- f) स्थायी खाता संख्या और माल एवं सेवा कर पंजीकरण सहित सभी लागू व्यापार पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करें;
- g) कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी को कंपनी सचिव से विधिवत प्रमाणित करवाएं।
स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "कंपनी सचिव" का तात्पर्य कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (सी) में परिभाषित व्यक्ति से है।
- h) अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ पूर्व लिखित अनुबंध करें ताकि उन्हें अपने माल या सेवाओं को बेचने या बेचने की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया जा सके, और ऐसे समझौते की शर्तें न्यायसंगत, निष्पक्ष और समतामूलक होंगी।
- i) यह सुनिश्चित करें कि उसके सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं के पास सत्यापित पहचान और भौतिक पता हो तथा केवल ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं को ही पहचान पत्र और दस्तावेज जारी करें।
- j) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय बनाएं कि उसके प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं लागू कानूनों के अनुरूप हों।
- k) अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा माल या सेवाओं की बिक्री से उत्पन्न शिकायतों के लिए उत्तरदायी होगा।
- l) प्रत्येक तिमाही के अंत में तथा वार्षिक आधार पर नोडल विभाग को निर्धारित प्रपत्र में अपना व्यवसाय विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- m) जीएसटी, आयकर और अन्य व्यापार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- n) पिरामिड योजनाओं और धन परिसंचरण योजनाओं पर प्रतिबंध लगाएं।
- o) उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के तहत निर्दिष्ट अन्य दायित्वों का पालन करें।
14. **प्रत्यक्ष विक्रेता का दायित्व :** प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता करेगा:
- a) प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की वस्तु या सेवा को बेचने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के साथ एक पूर्व लिखित अनुबंध करेगा।
- b) किसी भी बिक्री प्रतिनिधित्व की शुरुआत पर, अपने आपको स्पष्ट रूप से प्रकट करें, प्रत्यक्ष बिक्री संस्था की पहचान, व्यवसाय का पता, बेची जाने वाली वस्तु या सेवाओं की प्रकृति और इस प्रकार के आमंत्रण का उद्देश्य संभावित उपभोक्ता को बताएं।
- c) संभावित उपभोक्ता को सटीक और पूर्ण जानकारी, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन, मूल्य, क्रेडिट शर्तें, भुगतान की शर्तें, वापसी, विनिमय, धनवापसी नीति, गारंटी की शर्तें और बिक्री के बाद की सेवा प्रदान करें।
- d) उपभोक्ता को प्रारंभिक बिक्री के समय या उससे पहले एक आदेश फॉर्म प्रदान करें, जिसमें सीधे प्रत्यक्ष संस्था और प्रत्यक्ष विक्रेता की पहचान होनी चाहिए और विक्रेता का नाम, पता, पंजीकरण संख्या या नामांकन संख्या, पहचान प्रमाण और संपर्क नंबर, आपूर्ति किए जाने वाले वस्तुओं या सेवाओं का पूरा विवरण, वस्तुओं का निर्माण स्थान निर्माता आदेश की तारीख, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, नमूने के निरीक्षण और वस्तुओं की डिलीवरी का समय और स्थान, उपभोक्ता के आदेश को रद्द करने या बिक्री योग्य स्थिति में उत्पाद को वापस करने का अधिकार और धनवापसी प्राप्त करने की जानकारी और प्रत्यक्ष बिक्री संस्था की शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में पूर्ण विवरण शामिल होना चाहिए।
- e) वस्तु और सेवा कर पंजीकरण, स्थायी खाता संख्या पंजीकरण, सभी लागू व्यापार पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करें और उत्पाद की बिक्री के लिए लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करें।
- f) यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता को दिया गया वास्तविक उत्पाद दिए गए उत्पाद के विवरण से मेल खाता हो।
- g) उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गई सभी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं, जो वर्तमान में लागू कानूनों के अनुसार हों, और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा डेटा तक पहुंच या दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें।
- h) उपभोक्ताओं के बारे में उत्पादों/सेवाओं की प्रकृति या प्रभावशीलता के बारे में कोई भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व न करें।



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

- i) उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के तहत अन्य दायित्वों का पालन करें।
- j) प्रत्यक्ष विक्रेता/इकाई का यह दायित्व रहेगा कि पैकेज के रूप में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009/विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम 2011 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
- 15. झूठे बयान या महत्वपूर्ण जानकारी देने में चूक के संबंध में प्रावधान**

किसी भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत पंजीकरण/नामांकन की आवश्यकता के संबंध में कोई जानकारी प्रदान करता है या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसमें ऐसे विवरण हों, जिन्हें वह जानता हो कि वे गलत या भ्रामक हैं, या जिन्हें वह सत्य मानने के लिए विश्वास नहीं करता, या जिनमें ऐसे विवरण हों जिन्हें वह जानता हो कि वे अधूरे हैं या जिन्हें वह पूरा मानने के लिए विश्वास नहीं करता, उसे भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दंडनीय होगा।
- 16. प्रत्यक्ष विक्रेताओं के लिए पारिश्रमिक/व्यावसायिक योजना(Compensation/Business Plan/Marketing Plan for Direct sellers)**

पारिश्रमिक योजना में निम्नलिखित शर्तें अनुपालनीय होंगी

 - a) ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा कि प्रत्यक्ष विक्रेता या प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट, जो कर्मचारी नहीं है, को नामांकन (Enrollment) से मुख्य आय के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होगा।
 - b) ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा कि भागीदारों या अन्य प्रत्यक्ष विक्रेताओं या प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों को, जो कर्मचारी नहीं हैं, को सीधे बिक्री व्यवसाय में नेटवर्क के रूप में भाग लेने के लिए सलाह दी जाती हो।
 - c) प्रत्यक्ष विक्रेता या प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट, जो कर्मचारी नहीं हैं, का पारिश्रमिक, उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवाएं बेचने पर निर्भर करेगा, जिसमें अपने व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए खरीददारी भी शामिल है।
 - d) प्रत्यक्ष विक्रेताओं को अनुचित मात्रा में माल खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
 - e) प्रत्यक्ष विक्रेताओं को अनुचित मात्रा में माल खरीदने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा।
 - f) पारिश्रमिक भुगतान के लिए गणना की विधि (गणितीय रूप से गणना की गई विधि/Mathematical Calculated Manner) सत्य और वास्तव में व्यावहारिक होनी चाहिये तथा स्पष्ट रूप से प्रकट भी की जानी चाहिये।
 - g) निगरानी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य शर्तें।
- 17. पिरामिड और धन संचलन योजनाओं का निषेध**
 - a) कोई भी प्रत्यक्ष विक्रय संस्था या प्रत्यक्ष विक्रेता किसी पिरामिड योजना या धन संचलन योजना को बढ़ावा नहीं देगा या उसमें शामिल नहीं होगा।
 - b) प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और विक्रेताओं को किसी भी ऐसे व्यवसायिक ढांचे में भाग नहीं लेना चाहिए जो उत्पाद की बिक्री की तुलना में भर्ती को अधिक महत्व देता हो, या अन्यथा पुरस्कार चिट और धन संचलन योजना (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 का उल्लंघन करता हो।
18. उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) 2021 और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान द्वारा जारी सभी नियमों और विनियमों तथा उनमें किए गए आगे के संशोधनों, यदि कोई हों, का हर तरह से और सद्भावपूर्वक पालन किया जाएगा।
- 19. ऑडिट अनुपालन (Audit Compliance)**
 - a) प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई नोडल विभाग द्वारा अपेक्षित होने पर या निर्धारित समय पर अनुपालन ऑडिट के लिए जिम्मेदार होगी।
 - b) ऐसा अनुपालन लेखा-परीक्षण अनुपालन प्रत्यक्ष बिक्री में अनुभव रखने वाले लेखा-परीक्षक(Compliance Auditor) द्वारा किया जाएगा।
 - c) अनुपालन लेखापरीक्षा की अवधि पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी और लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को कम से कम 30 दिन की अग्रिम सूचना दी जाएगी।
 - d) प्रत्यक्ष बिक्री इकाई ऐसे लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों के साथ सहयोग करेगी।
 - e) अनुपालन लेखा परीक्षक नोडल विभाग को (दोष/टिप्पणी/लंबित अनुपालन (यदि कोई हो) के साथ अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट(Compliance Audit Report) जारी करेगा।
 - f) अनुपालन लेखापरीक्षा में प्रत्यक्ष बिक्री इकाई पर सभी लागू कानून और मॉनिटरिंग प्राधिकरण/नोडल विभाग द्वारा तय किए गए अन्य बिंदु भी शामिल होंगे।
- 20. प्रवेश और खोज/ तलाशी की शक्ति**



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

नियमों का उल्लंघन होने पर प्रत्यक्ष बिक्री इकाई/प्रत्यक्ष विक्रेता/अन्य मल्टी लेवल मार्केटिंग इकाई/गैर पंजीकृत प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति - निगरानी प्राधिकरण/ नोडल विभाग विभागीय/ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे जो विभाग के निर्देशों अथवा अन्य संबंधित विद्यमान विधिक आलोक में निरीक्षण एवं कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

- a) इन अधिकारियों के पास इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:
- निरीक्षण करने या निरीक्षण करवाने का अधिकार।
 - किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, प्रत्यक्ष विक्रेता, अन्य बहु-स्तरीय विपणन संस्थाओं या गैर-पंजीकृत प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं की वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में अपने पास उपलब्ध जानकारी प्रदान करने के लिये बुलाने का अधिकार होगा।
 - आवश्यकतानुसार सहायता लेकर परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार होगा।
 - नोडल अधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- b) प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को नोडल विभाग या संबंधित विभाग के निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें इकाई बिक्री कर रही है।
- c) संबंधित विभाग के निरीक्षण अधिकारी को अपने विभाग के नियमों के अनुसार समय-समय पर निरीक्षण करने का अधिकार है और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई या प्रत्यक्ष विक्रेता को रिकॉर्ड आदि के निरीक्षण के लिए अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहिए।
- d) संस्था के खिलाफ निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण/नामांकन/लाइसेंस/ टयवसाय संचालन की अनुमति को रद्द किया जा सकता है और अन्य कार्यवाही के लिए अन्य सक्षम अधिकारी को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए मामला संदर्भित किया जा सकता है।
21. **मॉनिटरिंग प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई** -
किसी भी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई/प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा निगरानी तंत्र के निर्देशों का उल्लंघन/अनुपालन न करने पर कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा तथा उचित तरीके से निपटाया जाएगा। निगरानी प्राधिकरण, ऐसे मामलों में, या तो स्वप्रेरणा से या इस संबंध में प्राप्त किसी शिकायत के आधार पर या निरीक्षण रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए, निम्न कार्य कर सकता है:
- ऐसे नामांकन को रद्द करें या उन प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं/प्रत्यक्ष विक्रेताओं को काली सूची में डालें जो निगरानी प्राधिकरण द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस और चेतावनी के बाद भी निगरानी प्राधिकरण के नियमों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं।
 - ऐसे गैर-अनुपालन के कारोबार को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करें।
 - मामले को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 17 से 23 में परिकल्पित ऐसे अन्य प्राधिकरण को भेजें।
 - निगरानी प्राधिकरण, उपर्युक्त मद (a), (b) एवं (c) में प्रस्तावित कार्रवाई आरंभ करने से पहले, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को नोटिस जारी कर सकता है अथवा उन्हें सुनवाई का अवसर देकर उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में उनका स्पष्टीकरण मांग सकता है।
 - किसी अन्य अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में मामले को संबंधित प्राधिकारी को उचित कार्यवाही करने के लिये भेज सकता है जैसे कि आयकर, जीएसटी कानून, एफएसएसएआई(FSSAI), पीसीएमसी कानून (PCMC Law), भारतीय न्याय संहिता, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री कानून या भारत या राज्य में लागू कोई अन्य कानून जो उसके संज्ञान में आया है तथा इन पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकता है।
22. **ई-कॉमर्स नियमों का अनुप्रयोग** : प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ-साथ बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाली प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएं उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और इसके द्वारा जारी संशोधनों की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी।
23. **"अपीलीय प्रावधान"** प्रत्यक्ष बिक्री की इकाई/विक्रेता को निदेशक (उपभोक्ता मामले) विभाग द्वारा पंजीकरण/नामांकन रद्द करने, ब्लैक लिस्ट करने या बिन्दु 22 में वर्णित किसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा।



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

24. नोडल अधिकारी (निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान) द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से (7) दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करेगा।
25. प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रभारी सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान तथा द्वितीय अपील माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 26. त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न भरना**
- (i) प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, नामांकन के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से 25 दिनों के भीतर निगरानी प्राधिकरण/नोडल विभाग को परिशिष्ट-5 में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करेगी।
- (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 90 दिनों के भीतर निगरानी प्राधिकरण/ नोडल विभाग परिशिष्ट-6 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगी।
- (iii) ऐसा न करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियमों तथा निगरानी के निर्देश के तहत उचित कार्यवाही की जायेगी।
- 27. निषिद्ध उत्पाद या सेवाएँ**
- प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएं निम्नलिखित उत्पादों या सेवाओं का सौदा नहीं करेंगी: -
- (a) भारतीय मुद्रा, निवेश, कमोडिटीज में ट्रेडिंग, लाइव स्टॉक जीवन बीमा पॉलिसियाँ (जो IRDA द्वारा विनियमित नहीं हैं) डिस्काउंट कूपन/वाउचर
- (b) आभासी मुद्रा- (जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी)
- (c) क्लिक करने, ऑनलाइन सर्वेक्षण भरने, ऑनलाइन विज्ञापन भरने से सम्बंधित कार्य उपहार, सहायता, दान की ऑनलाइन योजनाएँ,
- (d) क्राउड फंडिंग
- (e) यंत्र और तंत्र जैसे पेचीदा उत्पाद
- (f) ऑनलाइन गेम
- (g) अन्य अधिसूचित उत्पाद या सेवाएँ
28. **विविध-** प्रत्यक्ष विक्रय संस्थाएं और प्रत्यक्ष विक्रेता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विधिक माप विज्ञान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अन्य लागू अधिनियमों और नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपना व्यवसाय संचालित करेंगे।

(पूनम प्रसाद सागर)

निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग
एवं नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

परिशिष्ट-1

पंजीकरण/नामांकन के लिए आवेदन

क्र.सं.	विवरण	प्रत्यक्ष विक्रय इकाई द्वारा भरा जाना है
1	कंपनी प्रोफाइल	
2	प्रत्यक्ष विक्रय इकाई का नाम जैसा पंजीकृत है	
3	सीआईएन नं. / पंजीयन नं.	
4	पता संचार i. प्रधान कार्यालय: (पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल फोन, एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन और कंपनी, वेबसाइट के साथ) ii. राजस्थान में शाखा कार्यालय (पिन कोड, ई-मेल, मोबाइल फोन, एसटीडी कोड सहित टेलीफोन और कंपनी की वेबसाइट सहित)	
5	कंपनी का कर विवरण i. आयकर पंजीकरण संख्या (PAN) ii. आयकर टीडीएस पंजीकरण संख्या (TAN) iii. जीएसटी पंजीकरण संख्या (GSTIN)	
6	नाम और संपर्क विवरण i. संस्था के निदेशकों/भागीदारों का नाम और संपर्क पता (पिन कोड, आधार संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल फोन नंबर और टेलीफोन कोड के साथ) ii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का नाम और संपर्क पता, साथ ही उनका आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर iii. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क पता (पिन कोड, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल फोन नंबर, ईमेल और टेलीफोन एसटीडी कोड के साथ) iv. शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और पता (पिन कोड, आधार संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल फोन नंबर और टेलीफोन कोड के साथ)	
7	उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का विवरण:	
8	राज्य में कार्यरत प्रत्यक्ष विक्रेताओं की कुल संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक)	
9	प्रस्तुत उत्पादों/सेवाओं का विवरण (मूल्य विवरण सहित उत्पाद विवरणिका संलग्न करें) i. ट्रेडमार्क या सेवा चिह्न के साथ अपने उत्पादों या सेवाओं का विवरण, जैसा भी मामला हो ii. ट्रेडमार्क या सेवा चिह्न या अन्य पहचान चिह्नों के धारक या लाइसेंसधारी की हैसियत से बेचे गए उत्पादों या सेवाओं का विवरण जो कंपनी और उसके उत्पादों की पहचान कराता है	
10	प्रत्यक्ष बिक्री के तरीके i. अपनाई गई विपणन योजना : ii. अपनाई गई पारिश्रमिक योजना : iii. क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनाया गया:	
11	व्यवसाय में निवेश और ट्रेडिंग विवरण नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित खातों के अनुसार, अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को i. पूंजी भंडार(Capital) ii. चालू संपत्तियों(Current Assets) iii. चालू देयताएं/देयताएं(Current liabilities) iv. अचल संपत्तियों में निवेश(Investment in Fixed Assets) v. चालू परिसंपत्तियों में निवेश (Investment in	



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

	<p>Current Assets)</p> <p>vi. कुल बिक्री कारोबार (Total Turnover)</p> <p>vii. कुल खरीद कारोबार (Total Purchase)</p> <p>viii. सकल लाभ (Gross Profit)</p> <p>ix. शुद्ध लाभ (Net Profit)</p>	
12	प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के उत्पाद या वस्तुओं के संबंध में प्राप्त किए गए अन्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन अनुमति के विवरण (प्रति संलग्न करें)	
13	लीगल मेट्रोलाजी के अंतर्गत प्राप्त किए गये लाइसेंस (प्रति संलग्न करें)	
14	क्या प्रबंधन के किसी भी सदस्य को पिछले 5 वर्षों (आवेदन की तिथि से) के दौरान किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?	
15	क्या प्रत्यक्ष बिक्री उत्पादों की है या सेवाओं की या दोनों की?	
16	लाइसेंस, ट्रेडमार्क या मुख्य ब्रांड का विवरण जो कंपनी की पहचान बताता है	
17	प्रस्तावित उत्पादों/सेवाओं का विवरण (वेबसाइटों का लिंक दें)	
18	<p>कृपया अपनी प्रत्यक्ष बिक्री योजना के बारे में निम्नलिखित की पुष्टि करें:-</p> <p>a) इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि प्रत्यक्ष विक्रेता को नए प्रतिभागियों की भर्ती/नामांकन के लिए पारिश्रमिक या प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें प्रावधान है कि प्रत्यक्ष विक्रेताओं को केवल माल या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा।</p> <p>b) इसमें भागीदार को निम्नलिखित वस्तुएं या सेवाएं खरीदने की आवश्यकता नहीं होती:</p> <p>i. ऐसी राशि के लिए जो उस राशि से अधिक हो जिसके लिए ऐसे सामान या सेवाएं हां/नहीं हो सकती हैं उपभोक्ताओं को बेचे जाने या पुनः बेचे जाने की उम्मीद है;</p> <p>ii. वस्तुओं या सेवाओं की ऐसी मात्रा के लिए जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किए जाने, या बेचे जाने या पुनः बेचे जाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक हो; हां नहीं</p> <p>c) इसमें प्रतिभागियों को प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, बिक्री प्रदर्शन उपकरण और सामग्री की लागत या भागीदारी से संबंधित अन्य शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है; हां नहीं</p> <p>d) यह भागीदार को लिखित अनुबंध प्रदान करता है जिसमें भागीदारी की "भौतिक शर्तों" का वर्णन होता है; हां नहीं</p> <p>e) यह भागीदार को योजना में भाग लेने या भागीदारी रद्द करने के लिए एक उचित शांत अवधि की अनुमति देता है या प्रदान करता है और संचालन में भाग लेने के लिए दिए गए किसी भी विचार के लिए निधि प्राप्त करता है; हां नहीं</p> <p>f) यह प्रतिभागी के अनुरोध पर उचित शर्तों पर प्रतिभागी को बेची गई "वर्तमान में विपणन योग्य" वस्तुओं या सेवाओं के लिए वापस खरीद या पुनः खरीद नीति की अनुमति देता है या इसके लिए प्रावधान करता है; हां नहीं</p> <p>नोट:</p> <p>1. उपरोक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्नक में दें।</p> <p>2. यदि इस अनुच्छेद में किसी का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया पूर्ण विवरण प्रदान करें (एक संलग्नक में कारण सहित।)</p>	
19	<p>a) क्या सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं को उचित पहचान दस्तावेज जारी किए गए हैं। (हां/नहीं)</p> <p>b) क्या आप "प्रत्यक्ष विक्रेताओं का रजिस्टर" रखते हैं, जिसमें प्रत्येक नामांकित प्रत्यक्ष विक्रेता का प्रासंगिक विवरण अद्यतन किया जाता है तथा आयकर अधिनियम के अनुसार पते का सत्यापन योग्य प्रमाण, पहचान का प्रमाण और पैन सहित</p>	



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

	c) विवरण बनाए रखा जाता (हां/नहीं) वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से संबंधित किसी भी कर और शुल्क के भुगतान के लिए क्या तंत्र है, जिसमें प्रत्यक्ष विक्रेताओं और वितरकों से अनुपालन सुनिश्चित करने का तंत्र भी शामिल है। ब्यौरा दें। (हां/नहीं)	
20	a) वेबसाइट समुचित है और सभी प्रासंगिक विवरण, संपर्क जानकारी, प्रबंधन से संबंधित विवरण, उत्पाद, उत्पाद जानकारी और प्रत्यक्ष विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के साथ नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। (हां/नहीं) b) उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन या अन्यथा दर्ज करने की व्यवस्था है और शिकायतों का समाधान शिकायत दर्ज करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर किया जाता है। विस्तृत जानकारी दी जाए। (नोट्स/टिप्पणियाँ, यदि कोई हो।) हां/नहीं	

स्व-घोषणा/सत्यापन

उपरोक्त आवेदन की विषय-वस्तु सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरे/हमारे द्वारा कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।

मेरे/हमारे द्वारा आज दिनांकको सत्यापित किया गया।

आवेदक

नाम.....


पद का नाम.....

टेलीफोन नंबर.....

ई-मेल :.....

स्थान एवं दिनांक

कंपनी की मुहर





सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

परिशिष्ट-2

नोटरी प्रमाणित
शपथ पत्र/ घोषणा

मैं/हम..... पुत्र श्री..... कंपनी/फर्म के की क्षमता में घोषणा करते हैं कि हम, हमारे विधिवत नियुक्त प्रत्यक्ष विक्रेताओं सहित, निम्नलिखित का अनुपालन करेंगे:

1. उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर (889 ई) दिनांक 28/12/2021 के तहत अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष/ बिक्री) नियम, 2021 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
2. मैं/हम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 के सभी लागू प्रावधानों और उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम 9 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए नियमों का अनुपालन करेंगे, यदि लागू हो
3. मैं/हम विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2010 के सभी लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करेंगे जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम 5(4) और नियम 7(1)(v) में प्रावधान निर्दिष्ट है। (यदि लागू हो)
4. मैं/हम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के सभी लागू प्रावधानों और उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम 4 (j) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए नियमों का अनुपालन करूंगा/करेंगे, (यदि लागू हो)
5. मैं/हम उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार अथवा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी नियमों, निर्देशों, आदेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं का अनुपालन करूंगा/करेंगे।
6. मैं/हम राजस्थान में घोषित एक अधिकृत कार्यालय स्थापित करेंगे और अपने कार्यालय में मैनुअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखेंगे, ऐसे सभी दस्तावेज/रजिस्टर/खातों की किताबों को जो किसी भी समय लागू कानून के तहत आवश्यक हैं, जो इस निगरानी तंत्र के तहत प्रवर्तन अधिकारियों के सत्यापन के लिए लागू हो सकते हैं, इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम संख्या 4 के अनुसार जो आवश्यक है को आवश्यक रूप से रखेंगे।
7. मैं/हम उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम 5(17) में प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन/राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन की अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनूंगा/बनेंगे।
8. मैं/हम उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम 10 (a) में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में किसी पिरामिड योजना को बढ़ावा नहीं देंगे या किसी व्यक्ति को ऐसी योजना में नामांकित नहीं करेंगे या किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था में भाग नहीं लेंगे।
9. मैं/हम उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम 10 (b) में प्रावधान के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में धन संचलन योजना में भाग नहीं लेंगे।
10. मैं/हम किसी भी भ्रामक, धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार को बढ़ावा नहीं देंगे तथा साथ ही उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के नियम 2 (1) (डी) के साथ नियम 5(3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था/योजनाओं/व्यापार में भाग नहीं लेंगे और भारत के किसी कानून के तहत किसी भी आवश्यकता आदेश/नियमों से बाध्य होंगे।

साक्षी

साक्षी सत्यापन

उपरोक्त शपथ पत्र सह घोषणा की विषय-वस्तु सत्य एवं सही है और मेरे/हमारे द्वारा कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।
मेरे/हमारे द्वारा आज दिनांकको सत्यापित किया गया।

साक्षी

नाम.....।

पद का नाम.....

टेलीफोन नंबर.....

ई-मेल :



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

स्थान एवं दिनांक
कंपनी की मुहर

नोटरी सत्यापन





सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

परिशिष्ट-3

शपथ पत्र

मैं,, पुत्र/पुत्री, उम्र लगभग, निवासी, इस प्रकार सत्यनिष्ठा से पण्डित करता हूँ कि :-

1. मैं (प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का नाम) का [निदेशक/भागीदार/निर्धारित भागीदार] हूँ, जिसका पंजीकृत कार्यालय पर स्थित है और जिसका शाखा/पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य में पर है।
2. मैं इस शपथ पत्र को राजस्थान के उपभोक्ता मामले विभाग की नोडल विभाग को प्रस्तुत की गई प्रत्यक्ष बिक्री आवेदन के समर्थन में बना रहा/रही हूँ।
3. मैंने राजस्थान राज्य में प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के पंजीकरण/नामांकन के लिए पात्रता मानदंडों को समझा है, जो उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 और निगरानी प्राधिकरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि:
 - i. मैं अस्वस्थ मानसिकता का नहीं हूँ और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है।
 - ii. मैं अव्यवस्थित दिवालिया नहीं हूँ और मैंने दिवालियापन के लिए आवेदन नहीं किया है जो लंबित है।
 - iii. मुझे पर कोई अपराध नहीं हुआ है और मुझे छह महीने या अधिक की सजा नहीं दी गई है, और ऐसी सजा के समाप्त होने की तारीख से पांच साल से अधिक का समय हो गया है।
 - iv. मेरे खिलाफ पिरामिड या धन संचलन योजना या अनुचित व्यापार प्रथा के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
 - v. मेरे खिलाफ किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्ति के लिए कोई अयोग्यता आदेश नहीं दिया गया है और यह वर्तमान में लागू नहीं है।
4. उपर्युक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
5. मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या तथ्य छिपाने से मुझे और कंपनी को अयोग्यता और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

दिनांक: [तारीख]

स्थान: [स्थान]

हस्ताक्षर:

INDIAN DIRECT SELLER
& JAN NYAY SURAKSHA
DIRECT SELLER & TEAM LEADER PROTECTION
JUSTICE

[पूरा नाम]

[पद]

[कंपनी का नाम]



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

परिशिष्ट-4

ऐसे नामांकन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण/संलग्नक शामिल/समर्थित होंगे:

- पंजीकरण का प्रमाणपत्र;
- एसोसिएशन का ज्ञापन और एसोसिएशन का अनुच्छेद (कंपनी के मामले में); साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म/एलएलपी के मामले में)
- आधार नंबर, ई-मेल और मोबाइल फोन नंबर सहित संपर्क विवरण।
- संचालक और मौजूदा शेयरधारकों/भागीदारों की सूची उनके शेयरधारिता प्रतिशत के साथ (आधार कार्ड व पैन कार्ड सहित)।
- प्रत्यक्ष बिक्री योजना(Business Plan/Marketing Plan) एवं मुआवजा योजना का संक्षिप्त विवरण;
- प्रत्यक्ष विक्रय इकाई के लेटर हेड पर एक लिखित बयान कि प्रत्यक्ष विक्रय इकाई अपनी प्रत्यक्ष विक्रय योजना और मुआवजा योजना के अनुरूप पिरामिड योजना या धन संचलन योजना में शामिल क्यों नहीं है।
- प्रत्यक्ष विक्रेताओं/वितरक के साथ अनुबंध की कॉपी;
- प्रत्यक्ष विक्रेताओं/उपभोक्ताओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य के भीतर संपर्क नंबर के साथ कार्यालय का स्थान;
- राजस्थान राज्य के भीतर अधिकृत संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों और विवरण;
- उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष/बिक्री) नियम, 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय के उचित संचालन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पॉलिसी, घोषणाएं और अन्य दस्तावेजों जैसे वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की सत्यता और वैधता के संबंध में कंपनी सचिव द्वारा किया गया प्रमाणीकरण।
- नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपि (बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता अनुसूचियों के साथ) (पिछले वित्तीय वर्ष)
- आयातक-निर्यातक कोड का प्रमाणपत्र (आयातित माल के मामले में) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की सूची, उनके संपर्क पते, आधार संख्या, ई-मेल और मोबाइल फोन नंबर सहित ।
- प्रत्यक्ष विक्रय इकाई के लिए आवश्यक जीएसटीआईएन, पैन और टैन या ऐसे अन्य पंजीकरणों की प्रतिलिपि।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत जारी लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति। (यदि लागू हो)
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 के तहत परिचालन लाइसेंस की प्रति (यदि लागू हो)
- विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अंतर्गत अनिवार्य घोषणाओं की प्रतिलिपि। (यदि लागू हो)
- नवीनतम वर्ष के आयकर और जीएसटी रिटर्न की प्रतिलिपि।
- ऐसे अन्य दस्तावेज जो उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 या किसी सरकारी आदेश या निर्देश द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं;
- ऐसी अन्य जानकारी या दस्तावेज जिनकी मांग नोडल विभाग द्वारा की जा सकती है

नामांकन का उद्देश्य नोडल विभाग को उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 में दिए गए अपने उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाना है। नोडल अधिकारी इन नियमों के अनुपालन के आधार पर पंजीकरण को स्वीकृत, अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और आवेदन के परिशिष्ट-2 व 3 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र/घोषणा प्रस्तुत की जाएगी, साथ ही उक्त निर्धारित आवेदन पत्र में उल्लेखित परिशिष्ट के साथ अन्य परिशिष्ट-4 भी प्रस्तुत किए जाएंगे।



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

परिशिष्ट-05

डायरेक्ट सेलिंग त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म
भाग-ए

	वित्तीय वर्ष	
	त्रैमासिक विवरण	
	रिटर्न जमा करने की तिथि	
ए	कंपनी का नाम	
	कम्पनी का पता-	राज्य.....पिन कोड.....देश.....
	कंपनी का पता- (राजस्थान राज्य में)	राज्य.....पिन कोड.....देश.....
	संपर्क नंबर।	+91-
	ईमेल आईडी	
	सीआईएन नं./पंजीकरण नं.	
	प्रत्यक्ष विक्रेता इकाई का पंजीकरण/नामांकन संख्या (उपभोक्ता विभाग राजस्थान द्वारा जारी) तिमाही (Q1, Q2, Q3, या Q4) और वर्ष	Quarter-1 (1 अप्रैल से 30 जून) Quarter-2 (1 जुलाई से 30 सितम्बर) Quarter-3 (1 अक्टूबर से 30 दिसंबर) Quarter-4 (1 जनवरी से 30 मार्च)
	मोबाइल नंबर (अधिकृत प्रतिनिधि)	
बी	स्थायी खाता संख्या (PAN)	
सी	कर खाता संख्या (TAN)	
डी	जी.एस.टी (GSTIN)नंबर	
ई	आयुष पंजीयन नंबर	
फ	अन्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन विवरण दें	

भाग-बी

A.	बिक्री का विवरण	राजस्थान	सम्पूर्ण भारत (राजस्थान को छोड़कर)
	विक्रय-		
	i. कुल त्रैमासिक बिक्री (जीएसटी रिटर्न की प्रति संलग्न)		
	ii. भुगतान किया गया कुल त्रैमासिक जीएसटी		
B.	विक्रय पर कमीशन (त्रैमासिक)		
	i. प्रत्यक्ष विक्रेता को दिया गया कुल कमीशन (माल/सेवा के विक्रय पर)		
	ii. माल/सेवा के विक्रय के अलावा अन्य दिया गया कमीशन		
	iii. कोई अन्य लाभ/बोनस/योजना		



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

	iv.	कमीशन पर कुल काटा गया टी.डी.एस.		
	v.	कुल भुगतान किया गया टी.डी.एस. (टी.डी.एस. चालान की प्रति संलग्न करें)		
	vi.	माल/सेवा के विक्रय पर या अन्य कोई कमीशन जो देय हो चुका हों कमीशन और जिसका भुगतान नहीं किया गया है राशि का उल्लेख करें।		
	vii.	यदि कमीशन भुगतान नहीं किया है तो भुगतान नहीं होने का कारण भी दर्ज करें।		
C.	प्रत्यक्ष विक्रेताओं का विवरण			
	a.	प्रत्यक्ष विक्रेता पंजीकरण डेटा		
	i.	नामांकित प्रत्यक्ष विक्रेता की कुल संख्या		
	ii.	इस रिटर्न अवधि में नये नामांकित होने वाले प्रत्यक्ष विक्रेता की संख्या		
	b.	प्रत्यक्ष विक्रेता सूची से हटाये (Delist) गये प्रत्यक्ष विक्रेता की सूचना		
	i.	कुल प्रत्यक्ष विक्रेता सूची से हटाये गये: [संख्या]		
	ii.	इस रिटर्न अवधि में कुल हटाये गये प्रत्यक्ष विक्रेताओं की संख्या		
	iii.	हटाये जाने के कारण जैसे	i.	स्वैच्छिक रूप से सेवा समाप्ति (संख्या)
			ii.	डायरेक्ट सेलिंग रूल या अनुबंध की शर्तों की पालना न करने के कारण समाप्ति (संख्या)
			iii.	किसी तरीके का आपराधिक कार्य में संलग्नता के कारण समाप्ति (संख्या)
		iv.	मृत्यु होने पर समाप्ति (संख्या)	
		v.	पागल होने पर समाप्ति (संख्या)	
		vi.	दिवालिया होने पर समाप्ति (संख्या)	
		vii.	अन्य कोई कारण होने पर समाप्ति (संख्या)	
D.	a.	वित्तीय रिटर्न		
		जी.एस.टी रिटर्न (त्रैमासिक) राजस्थान		
	i.	संलग्न: [हां/नहीं]		
	ii.	दाखिल करने की अवधि: [कवर की गई अवधि निर्दिष्ट करें.]		
	b.	टी.डी.एस. रिटर्न (त्रैमासिक) राजस्थान		
	i.	संलग्न : [हां/नहीं]		
	ii.	दाखिल करने की अवधि: [कवर की गई अवधि निर्दिष्ट करें.]		
E.	विचाराधीन मामलों की सूचना (प्रत्यक्ष विक्रेता इकाई या उसके संचालकों के विरुद्ध)			
	i.	पंजीकृत उपभोक्ता मामलों की संख्या स्थिति		
	ii.	पंजीकृत आपराधिक मामलों की संख्या एवं स्थिति		



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

	iii.	पंजीकृत सिविल मामलों की संख्या एवं स्थिति		
	iv.	अन्य विभाग/प्राधिकरण के समय मामलों की संख्या व स्थिति		
F.	शिकायत निवारण तंत्र			
	i.	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या		
	i.	उपभोक्ता शिकायतें		
	ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता की शिकायतें		
	iii.	आम जनता की शिकायतें		
	ii.	निस्तारित शिकायतों की संख्या		
	i.	उपभोक्ता शिकायतें		
	ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता की शिकायतें		
	iii.	आम जनता की शिकायतें		
	iii.	समाधान (दर)		
	i.	उपभोक्ता शिकायतें		
	ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता की शिकायतें		
	iii.	आम जनता की शिकायतें		
	iv.	औसत समाधान समय (दिन)		
	i.	उपभोक्ता शिकायतें		
	ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता की शिकायतें		
	iii.	आम जनता की शिकायतें		
	v.	अन्य शिकायतें		
	i.	लंबित शिकायतें		
	ii.	शिकायतें लंबित रहने के कारण		
	iii.	लंबित शिकायत के लिये उठाये गये कदम		
G.	पेश किए जाने वाले उत्पादों/सेवाओं का विवरण			
	i.	उत्पादों की कुल संख्या/ प्रदान की जाने वाली सेवाएं उनके नाम के साथ (अलग से सूची संलग्न करें)		
	ii.	तिमाही के दौरान नए शुरू किए गए उत्पादों/सेवाओं की कुल संख्या (अलग से सूची संलग्न करें)		
	iii.	तिमाही के दौरान बंद किए गए उत्पादों/सेवाओं की कुल संख्या (अलग से सूची संलग्न करें)		
	iv.	उन उत्पादों/ सेवाओं की सूची जिनके लिए ट्रेडमार्क/सेवामार्क प्राप्त नहीं किया गया है या लागू नहीं किया गया है। (अलग से सूची संलग्न करें)		
	v.	उन उत्पादों/ सेवाओं पर जिन पर ट्रेडमार्क नहीं लिया गया है पर दिये गये कमीशन का विस्तृत विवरण		
	vi.	तिमाही के दौरान लौटाए गए उत्पादों की राशि का रिफंड भुगतान -		
	i.	उत्पादों की संख्या		
	ii.	वापस की गई राशि		



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

		iii.	लंबित रिफंड राशि		
		iv.	लंबित प्रकरण		
		i.	लंबित प्रकरण संख्या		
		ii.	लंबित होने के कारण		
	vii.		तिमाही के दौरान एक्सचेंज किये गए उत्पादों का ब्यौरा -		
		i.	एक्सचेंज किये गये उत्पादों की संख्या		
		ii.	एक्सचेंज की संख्या		
		iii.	लंबित प्रकरण		
H.	अतिरिक्त जानकारी				
	i.	शिकायतों में रुझान: [तिमाही के दौरान ग्राहक और प्रत्यक्ष विक्रेता शिकायतों में देखी गई प्रवृत्तियों का सारांश।]			
	ii.	शिकायत पर की गई कार्रवाई: [प्राप्त शिकायतों के आधार पर ग्राहक और विक्रेता की संतुष्टि में सुधार के लिए की गई कार्रवाई का विवरण।]			
I.	एडेटा सुरक्षा अनुपालन				
	i.	डेटा संग्रहण स्थान अनुपालन: यह पुष्टि कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा भारत के भीतर संग्रहित है/या भारत के बहार			
	ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपाय			
	iii.	डेटा उल्लंघनों (यदि कोई हो) का रिकॉर्ड और उल्लंघन को हल करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम।			
J.	प्रशिक्षण और निगरानी गतिविधियाँ				
	i.	प्रत्यक्ष विक्रेताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्रों का सारांश, अनुपालन और नैतिक विक्रय रीतियों पर किये गये प्रयासों का सारांश			
	ii.	प्रत्यक्ष विक्रेताओं के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई गतिविधियों की निगरानी पर किये गये प्रयासों का सारांश			

घोषणा

मैं, [अधिकृत व्यक्ति का नाम], [पदनाम], एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सटीक है।

अधिकृत व्यक्ति का
नाम
पद का नाम
हस्ताक्षर
तारीख

संलग्नक
संलग्न दस्तावेजों की
सूची



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

परिशिष्ट-06

डायरेक्ट सेलिंग वार्षिक रिटर्न फॉर्म
भाग-ए

		वित्तीय वर्ष	
		रिटर्न जमा करने की तिथि	
ए	कंपनी का नाम		
	कम्पनी का पता-	राज्य.....पिन कोड.....देश.....	
	कंपनी का पता(राजस्थान राज्य में)-	राज्य.....पिन कोड.....देश.....	
	संपर्क नंबर		
	ईमेल आईडी		
	सीआईएन नं./पंजीकरण नं.		
	प्रत्यक्ष विक्रेता इकाई का पंजीकरण/नामांकन संख्या (उपभोक्ता विभाग राजस्थान द्वारा जारी)		
	मोबाइल नंबर (अधिकृत प्रतिनिधि)		
बी	स्थायी खाता संख्या (PAN)		
सी	कर खाता संख्या (TAN)		
डी	जी.एस.टी (GSTIN) नंबर		
ई	आयुष पंजीयन नंबर		
फ	अन्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन विवरण दें		

भाग-बी

A	बिक्री और कमीशन डेटा	राजस्थान	सम्पूर्ण भारत (राजस्थान को छोड़कर)
	विक्रय राशि		
	i. वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बिक्री (जीएसटी रिटर्न की प्रति संलग्न)		
	ii. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल जीएसटी		
B	विक्रय पर कमीशन (वार्षिक)		
	i. प्रत्यक्ष विक्रेता को दिया गया कुल कमीशन (माल/सेवा के विक्रय पर)		
	ii. माल/सेवा के विक्रय के अलावा अन्य दिया गया कमीशन		
	iii. कोई अन्य लाभ/बोनस/योजना		
	iv. कमीशन पर कुल काटा गया टी.डी.एस.		
	v. कुल भुगतान किया गया टी.डी.एस. (टी.डी.एस. चालान की प्रति संलग्न करें)		
	vi. माल/सेवा के विक्रय पर या अन्य कोई जो देय हो चुका हों कमीशन और जिसका भुगतान नहीं किया गया है राशि का उल्लेख करें।		
	vii. यदि कमीशन भुगतान नहीं किया है तो भुगतान नहीं होने का कारण भी दर्ज करें।		
C	टीडीएस (वार्षिक)		
	i. कुल काटा गया टी.डी.एस.		
	ii. कुल भुगतान किया गया टी.डी.एस. (जमा किये गये कर का चालान संलग्न किया जाएगा)		
D	प्रत्यक्ष विक्रेताओं का विवरण (वार्षिक)		
	a. प्रत्यक्ष विक्रेता पंजीकरण डेटा-		
	i. नामांकित प्रत्यक्ष विक्रेता की कुल संख्या (सूचना का प्रति संलग्न करें)		
	ii. इस रिटर्न अवधि में नये नामांकित होने वाले प्रत्यक्ष विक्रेता की संख्या		
	b. प्रत्यक्ष विक्रेता सूची से हटाये (Delist) गये प्रत्यक्ष विक्रेता की सूचना		
	i. कुल प्रत्यक्ष विक्रेता निष्काषित: [संख्या]		
	ii. निष्काषित के कारण: [कारणों का सारांश, जैसे,		



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

		स्वैच्छिक निकास, गैर-अनुपालन आदि]		
	iii.	हटाये जाने के कारण जैसे-		
		i. स्वैच्छिक रूप से सेवा समाप्ति (संख्या)		
		ii. डायरेक्ट सेलिंग रूल या अनुबंध की शर्तों की पालना न करने के कारण समाप्ति (संख्या)		
		iii. किसी तरीके का आपराधिक कार्य में संलग्नता के कारण समाप्ति (संख्या)		
		iv. मृत्यु होने पर समाप्ति (संख्या)		
		v. पागल होने पर समाप्ति (संख्या)		
		vi. दिवालिया होने पर समाप्ति (संख्या)		
		vii. अन्य कोई कारण होने पर समाप्ति (संख्या)		
E.	क्रय मूल्य(वार्षिक):			
	i.	कुल खरीद मूल्य: [राशि]		
	ii.	प्रति विक्रेता औसत खरीद मूल्य: [राशि]		
F.	पारिश्रमिक योजना/मार्केटिंग प्लान/बिजनेस प्लान			
	i.	पारिश्रमिक योजना/मार्केटिंग प्लान/बिजनेस प्लान मुआवजा संरचना का विवरण: [पारिश्रमिक मॉडल, बोनस, कमीशन, आदि के बारे में विवरण]-(डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लान की प्रति संलग्न करें)		
	ii.	किए गए कोई भी परिवर्तन: [वर्ष के दौरान योजना में किए गए किसी भी संशोधन का सारांश] (मूल व संशोधित प्रति संलग्न करें)		
	iii.	संशोधन किये जाने का कारण		
G.	a.	वित्तीय रिटर्न		
		जी.एस.टी रिटर्न (वार्षिक)		
		i. संलग्न: [हां/नहीं]		
		ii. दाखिल करने की अवधि: [कवर की गई अवधि निर्दिष्ट करें.]		
	b.	आयकर रिटर्न(वार्षिक):		
		i. संलग्न: [हां/नहीं]		
		ii. दाखिल करने की अवधि: [कवर की गई अवधि निर्दिष्ट करें.]		
	c.	टी.डी.एस. रिटर्न(वार्षिक):		
		i. संलग्न: [हां/नहीं]		
		ii. दाखिल करने की अवधि: [कवर की गई अवधि निर्दिष्ट करें.]		
	d.	वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते सभी अनुलग्नकों के साथ		
		i. संलग्न: [हां/नहीं]		
		ii. लेखापरीक्षा अवधि: [कवर की गई अवधि निर्दिष्ट करें.]		
H.		विचाराधीन मामलों का विवरण (प्रत्यक्ष विक्रेता इकाई या उसके संचालको के विरुद्ध)		
		i. पंजीकृत उपभोक्ता मामलों की संख्या स्थिति		
		ii. पंजीकृत आपराधिक मामलों की संख्या एवं स्थिति		
		iii. पंजीकृत सिविल मामलों की संख्या एवं स्थिति		
		iv. अन्य के समक्ष मामलों की संख्या विभाग/प्राधिकरण की स्थिति		
		v. NCH में कम्प्लेंट्स का विवरण		
		vi. राजस्थान स्टेट उपभोक्ताओ हेल्प लाइन पर शिकायतों का विवरण		
		vii. कंपनी द्वारा संचालित सभी स्टोर व C&F (केरी एंड फॉरवर्ड एजेंट) का विवरण		
I.		अंकेक्षण (वार्षिक)		
		i. कुल किये गये वार्षिक अंकेक्षण के प्रकार		
		i. अंकेक्षण का नाम		
		ii. अंकेक्षण की दिनांक (प्रति भी संलग्न करें)		
		iii. किसी भी वार्षिक अंकेक्षण में कोई नकारात्मक बिंदु का उल्लेख करें (यदि कोई हो)		
		iv. नकारात्मक बिंदु पर किये गये सुधारात्मक उपाय (यदि कोई हो)		
J.		कार्यकारी सारांश		



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

	i.	वर्ष के दौरान अनुपालन उपलब्धियों और चुनौतियों की मुख्य बातें			
K.	उत्पाद और सेवा अनुपालन				
	i.	वर्ष भर में प्रस्तुत उत्पादों या सेवाओं का नाम (ट्रेडमार्क के साथ)			
	ii.	प्रत्येक उत्पाद/सेवा के लिए कानूनी माप विज्ञान और सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया गया है हाँ/नहीं (सभी प्रोडक्ट्स के लेबल की प्रति संलग्न करें)			
	iii.	वित्तीय वर्ष में कुल रिटर्न व रिफंड रिक्वेस्ट			
		i.	उत्पादों की संख्या		
		ii.	वापस की गई राशि		
		iii.	लंबित रिफंड राशि		
	iv.	वित्तीय वर्ष में कुल रिटर्न व एक्सचेंज रिक्वेस्ट			
		i.	उत्पादों की संख्या		
		ii.	वापस की गई राशि		
iii.		लंबित रिफंड राशि			
L.	शिकायत निवारण तंत्र				
	i.	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या			
		i.	उपभोक्ता शिकायतें		
		ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता की शिकायतें		
	ii.	निस्तारित शिकायतों की संख्या			
		i.	उपभोक्ता शिकायतें		
		ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता की शिकायतें		
	iii.	समाधान (दर)			
		i.	उपभोक्ता शिकायतें		
		ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता की शिकायतें		
	iv.	औसत समाधान समय (दिन)			
		i.	उपभोक्ता शिकायतें		
		ii.	प्रत्यक्ष विक्रेता की शिकायतें		
	v.	अन्य शिकायतें			
		i.	लंबित शिकायतें		
		ii.	शिकायतें लंबित रहने के कारण		
	iii.	लंबित शिकायत के लिये उठाये गये कदम			
	M.	विज्ञापन और विपणन अनुपालन			
i.		प्रत्यक्ष बिक्री नियमों के अनुपालन के लिए विज्ञापन सामग्री की समीक्षा पर ब्यौरा			
ii.		विपणन विधियों का मूल्यांकन : विपणन विधियाँ उत्पाद प्रतिनिधित्व के अनुरूप हों और उपभोक्ताओं को गुमराह न करें			
iii.		अनुपालन बढ़ाने के लिए विपणन नीतियों में किसी भी परिवर्तन का अवलोकन			
N.	डेटा संरक्षण और सुरक्षा अनुपालन				
	i.	डेटा स्थानीयकरण की पुष्टि (अर्थात भारत के भीतर/या भारत के बहार)			
	ii.	डेटा संरक्षण नीतियाँ और सुरक्षा उपाय का प्रबंधन का ब्यौरा			
	iii.	डेटा उल्लंघन (यदि कोई हो), का रिकॉर्ड और उल्लंघन को हल करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाएँ को रोकने के लिये उठाये गये कदम			
O.	प्रशिक्षण एवं निगरानी गतिविधियाँ				



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

	i.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारांश , नैतिकता और अनुपालन पर किये गये प्रयास का ब्यौरा		
	ii.	निगरानी प्रक्रियाएं : अनुपालन ऑडिट, मूल्यांकन और निष्कर्षों का अवलोकन		
	iii.	गैर-अनुपालन के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा (जैसे, नियम उल्लंघन के लिए प्रत्यक्ष विक्रेताओं को बर्खास्त करना)		
P.	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भागीदारी			
	i.	राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण पहल में भागीदारी का सारांश		
	ii.	राज्य निगरानी सहभागिता/ भागीदारी और फीडबैक या किसी आदेश के जवाब में की गई कार्रवाई		

घोषणा

मैं, [अधिकृत व्यक्ति का नाम], [पदनाम], एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सटीक है।

अधिकृत व्यक्ति का नाम
पद का नाम
हस्ताक्षर
तारीख

संलग्नक
संलग्न दस्तावेजों की सूची

